प्रेस नोटः–

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक–27.03.2019

यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही एवं संदिग्धों की चेकिंग–

जनपदीय पुलिस/ यातायात पुलिस गोण्डा द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में भिन्न–भिन्न स्थानों पर दो पहिया वाहनों व संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान दो पहिया वाहनों पर तीन सवारी, बिना हेलमेट लगाये, बिना अनुज्ञप्ति, सवारी गाडीयों में क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर व तेज गति से वाहन चलाते समय तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर **214 वाहनों से मु0– 49500 रू0 शमन शुल्क वसूल किया गया। शमन शुल्क को नियमानुसार राजकीय कोष में जमा कराया गया।**

पैदल गश्त अभियानः–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा चलाये जा रहे पैदल गश्त अभियान के तहत जनपद पुलिस के सभी प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष द्वारा अपने–अपने थाना क्षेत्रों में अलग–अलग टीम बनाकर पैदल गस्त अभियान को जारी रखते हुए दुकानदारों, व्यापारियों तथा आम जनता से सम्पर्क स्थापित किया गया तथा उनकी समस्या सुनी गयी। कस्बा में स्थित चौराहों, सड़क की पटरियों, भीड़–भाड़ वाले स्थानों को अतिक्रमण मुक्त करने में पुलिस का सहयोग करने को कहा गया। जिससे चौराहों व भीड़–भाड़ वाले स्थानों पर यातायात सुगम हो सके। अतिक्रमण करने वाले व्यक्तियों के विरूद्व विभिन्न थाना क्षेत्रों में कार्यवाही करते **290 भा0द0वि0/34 पुलिस अधिनियम में 240 व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही की गयी।**

शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही–

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका व भविष्य में शान्ति व्यवस्था को बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थानों से **कुल– 27 व्यक्तियों को अर्न्तगत धारा–151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।**

07 वारण्टी अभियुक्तों के विरूद्ध पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही–

पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में चलाये जा रहे वारण्टी अभियुक्तों के गिरफ्तारी के अभियान में जनपदीय पुलिस द्वारा 07 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा जनपद में अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत दिनांक 26.03.2019 को जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्र की पुलिस द्वारा तत्परता पूर्वक कार्यवाही करते हुए कुल–03 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके पास से कुल 65 लीटर कच्ची शराब मय उपकरण बरामद की गयी। कार्यवाही का विवरण निम्न प्रकार है–

थाना परसपुर द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. तिलकराम मिश्रा पुत्र सीता राम मिश्रा निवासी बेहडा चौबे थाना को0नगर जनपद गोण्डा के कब्जे से **20 ली0** अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–89/19, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

थाना खोड़ारे द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. दिनेश पुत्र मंगरू निवासी बभनजोत थाना खोडारे जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 **ली0** अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–55/19, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

थाना छपिया द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. मंतोष पुत्रराममिलन निवासी जमुनहा थाना छपिया जनपद गोण्डा के कब्जे से 25 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–87/19, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

विवेचनाओं का निस्तारण–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा गुण–दोष के आधार पर विवेचना की कार्यवाही करते हुए **कुल– 15 विवेचनाओं** का निस्तारण किया गया।

बरामदगी–

01. 65 ली0 अवैध कच्ची शराब।

सराहनीय प्रेस नोट जनपद गोण्डा दिनांक 27.03.2019

थाना इटियाथोक पुलिस द्वारा 15000 रूपये का पुरस्कार घोषित बलात्कारी अभियुक्त को किया गिरफ्तार –

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. रामरतन पुत्र जगदम्बा प्रसाद निवासी तिलकपुरवा मौजा नरौरा भर्रापुर थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0 93/19 धारा 376 भादवि, 3/4 पाक्सो एक्ट थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।

संक्षिप्त विवरण–

जनपद गोण्डा मे अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान मे पुरस्कार घोषित/वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा आर.पी. सिंह द्वारा जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षो को कड़े निर्देशित दिये गये थे। जिसके क्रम में थाना इटियाथोक पुलिस को बडी सफलता प्राप्त हुई।

उक्त निर्देश के अनुक्रम मे थाना इटियाथोक पुलिस द्वारा नाबालिक लड़की से बलात्कार करने के आरोपी अभियुक्त को आज दिनांक 27.03.2019 को प्रातः 4:30 बजे तिलकापुरवा से गिरफ्तार किया गया। उक्त अभि0 मु0अ0सं0–93/19 धारा 376 भादवि, 3/4 पाक्सो एक्ट थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा में वांछित था जिसकी गिरफ्तारी हेतु श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय गोण्डा द्वारा 15,000 रूपये का पुरस्कार घोषित किया गया था।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. प्रभारी निरीक्षक इटियाथोक विद्यासागर वर्मा थाना
02. का0 दिलीप यादव।
03. का0 पटेल राय।
04. का0 मुकेश यादव।

950 ग्राम नाजायज गांजा के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार–

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता–

01. पृथ्वीपाल वर्मा पुत्र मंगरे वर्मा निवासी सोनबरसा थाना को0देहात जनपद गोण्डा।

बरामदगी–

01. 950 ग्राम नाजायज गांजा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–103/19 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना को0 देहात जनपद गोण्डा।

संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 26.03.2019 को उ0नि0 शैलेन्द्र कुमार सिंह हमराह के साथ रोकथाम जुर्म जरायम चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति में रवाना थे कि मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति अवैध गांजे के साथ बाबा मंदिर के पास खडा है और कही जाने की फिराक में है। इस सूचना पर उ0नि0 शैलेन्द्र कुमार सिंह मय हमराह फोर्स के साथ उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 950 ग्राम नाजायज गॉजा बरामद कर अभियुक्त के विरूद्ध को0 देहात में एनडीपीएस एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. उ0नि0 शैलेन्द्र कुमार सिंह
02. हेड का0 पालेन्द्र सिंह।
03. का0 ओमप्रकाश यादव।

बैरियर चेकिंग के दौरान परसपुर पुलिस ने किया गांजा तस्कर को किया गिरफ्तार–

गिरफ्तार अभियुक्त –

01. दिग्विजय सिंह पुत्र सुखदेश सिंह निवासी सुज्जपुरवा थाना परसपुर जनपद गोण्डा।

बरामदगी–

01. 01 किलो 100 ग्राम नाजायज गांजा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–91/19 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना परसपुर जनपद गोण्डा।

संक्षिप्त विवरण–

आज दिनांक 27.03.2019 को थानाध्यक्ष परसपुर मय हमराह के साथ थाना परसपुर क्षेत्र में लगे देवीगंज बैरियर चेकिंग के दौरान उक्त आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 किलो 100 ग्राम अवैध गांजा बरामद कर थाना को0 परसपुर में उक्त अभियुक्त के विरूद्ध एन0डी0पी0एस0 एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. थानाध्यक्ष परसपुर बृजानन्द सिंह।
02. उ0नि0 रामकुमार सिंह।
03. का0 भूपेन्द्र कुमार।
04. का0 संदीप कुमार।
05. का0 कुशहर यादव।